

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ 2 (ग) (एसीपी)/1981-III/अलेसे-I/1120

दिनांक:- 27 ⁰¹/₂₀₁₇

कार्यालय आदेश संख्या 147/2016-17

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.11(7)एफडी/रूल्स/2008/दिनांक 12.09.08 एवं दिनांक 06.10.08 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ-14 (88) एफडी(नियम) 2008-। दिनांक 31.12.09 के अनुसरण में श्री भवानी सिंह राठौड, सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I जिनकी जन्मतिथि 10.01.1951 है तथा जिन्होंने कनिष्ठ लेखाकार के पद पर सीधी भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण कर दिनांक 17.03.1981 को कार्यग्रहण किया था। श्री राठौड ने 27 वर्ष की निरन्तर राजकीय सेवा दिनांक 17.03.2008 को पूर्ण कर ली है। श्री राठौड के विरुद्ध सी.सी.ए. नियम-17 के अन्तर्गत जारी विभागीय ज्ञापन दिनांक 23.04.2002 के क्रम में विभागीय आदेश दिनांक 24.06.2004 के द्वारा 1 वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है। अतः श्री राठौड को दिनांक 17.03.2008 के स्थान पर 1 वर्ष देरी से दिनांक 17.03.2009 से कनिष्ठ लेखाकार के पद का तृतीय आशवासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) पी.बी.-2, (9300-34800) ग्रेड पे 4800 में स्वीकृत किया जाता है।

श्री भवानी सिंह राठौड, सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 14 (88) एफडी (नियम) 2008-। दिनांक 31.12.09 में दी हुई शर्तों के सम्बन्ध में संतोषजनक सेवा सम्बन्धी प्रमाण पत्र व सन्तान सम्बन्धी घोषणा प्राप्ति के आधार पर ए.सी.पी. स्वीकृत किया जाता है।

श्री भवानी सिंह राठौड, सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I के वांछित वार्षिक कार्य-मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण वित्त विभाग के आदेश प.2 (17) वित्त/राजस्व/08 दिनांक 27.07.12 द्वारा स्पष्टीकरण के आधार पर गत 9 वर्षों की एपीएआर में से 7 वर्षों की एपीएआर प्राप्ति के आधार पर उक्त ए.सी.पी. इस शर्त पर स्वीकृत किया जाता है कि भविष्य में प्राप्त उक्त अवधि के वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जावेगा तथा वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर ए.सी.पी. स्वीकृति के बारे में निर्णय लिया जाकर तदनुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

श्री भवानी सिंह राठौड, सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12.09.2008 के पैरा 19, आदेश दिनांक 06.10.2008 एवं एफ-14(88) एफडी(नियम) 2008-। दिनांक 31.12.09 के अनुसार सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I की सेवापुस्तिका में की जावे। वेतन निर्धारण से पूर्व सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I ए.सी.पी. स्वीकृत तिथि को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) 2008 में ग्रेड पे 4200/- प्राप्त कर रहे है।


(पंकज पाठनी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ 2 (ग) (एसीपी)/1981-III/अलेसे-I/1120

दिनांक:- 27-01-2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. कार्यालय, सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, ब्यावर (राजस्थान)
2. श्री भवानी सिंह राठौड, सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I, कार्यालय सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, ब्यावर (राजस्थान)
3. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. निजी पत्रावली/गार्ड फाईल।


(बलवीर सिंह गोठवाल)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)